



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112025-267872
CG-DL-E-20112025-267872

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5137]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2025/कार्तिक 29, 1947

No. 5137]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2025/KARTIKA 29, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2025

का.आ. 5313(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित अन्य संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची, में गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना से संबन्धित क्रम संख्या 73 में, मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

विश्वविद्यालय या पशुचिकित्सा संस्थान	मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता	पंजीकरण के लिए संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
“(iii) पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, रामपुरा फूल, बठिंडा, पंजाब	पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक	बी.वी.एससी. एवं ए.एच. (यह अर्हता इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता होगी) ”

[फा. सं. के-12052-6/7/2018-एलएच (ई-19221)]

आर. एस. सिन्हा, अपर सचिव

नोट : भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची को पिछली बार दिनांक 14 जुलाई 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3232(अ) के जरिए संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2025

S.O. 5313(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely: –

In the First Schedule to the said Act, in serial number 73, relating to Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Ludhiana, after item (ii) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely: -

University or Veterinary Institution	Recognised Veterinary Qualification	Abbreviation for registration
(1)	(2)	(3)
“(iii) College of Veterinary Science , Rampura Phul , Bathinda, Punjab	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. and A.H. “(This qualification shall be a recognised Veterinary qualification from the date of publication of this notification in the Official Gazette)”.

[F. No. K-12052-6/7/2018-LH (e-19221)]

R. S. SINHA, Addl. Secy.

Note - The First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 was last amended vide notification number S.O.3232(E) ,dated 14th July,2015.